मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 439-1164-1 (3) 75 भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच समयावधि.

संदर्भ.—इस विभाग का दिनांक 30 सितम्बर 1963 का ज्ञापन क्रमांक 2197-2355-एक (3)

उपर्युक्त ज्ञापन की एक प्रति संलग्न करते हुए शासन पुनः सभी विभागों एवं सक्षम प्राधिकारियों को यह निदेश देता है कि विभागीय जांच के मामलों को जांच प्राधिकारी एक वर्ष के भीतर निपटा लिया करें, जिन जांच प्राधिकारियों द्वारा एक वर्ष से अधिक विलम्ब किया गया हो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए.

आपके विभाग में अभी तक लंबित विभागीय जंच के मामलों की जानकारी एकत्र कर इस विभाग को भेजें तथा जिन मामलों में जांच प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष से अधिक विलम्ब किया गया हो उनके संबंध में उस जांच प्राधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई उसका भी संक्षिप्त विवरण दें.

सहपत्र—1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(के. एम. शरण)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

Government of Madhya Pradesh
General Administration Department

.....

Memorandum

No. 2197/2355-I(3) Bhopal, dated the 30th Sept. 1963.

To

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments, and
All Collectors.

Subs:- Departmental Enquiries - Period of completion.

...

The State Government have decided that a period of one year should be regarded as the maximum for the completion of a departmental enquiry. The Enquiry officer will be liable for disciplinary action for delay beyond that period which cannot be satisfactorily explained.

Sd/- R.S.S. Rao
Deputy Secretary to Government,
Madhya Pradesh.

....